न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र/79/2019

पंजाब नेशनल बैंक शाखा लक्ष्मण मन्दिर चौक भरतपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.......प्रार्थी सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1–मैसर्स चन्द्रावती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एन0एच0 11 जयपुर रोड, सेवर बाई पास, भरतपुर जरिये अध्यक्ष डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिह निवासी 9709, सी–99 बसंत कुंज, नई दिल्ली

.....अप्रार्थी/ऋणी

2–डा0 नरेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिंह निवासी 9709, सी–99 बसंत कुंज, नई दिल्ली
3–श्री शिवसिंह पुत्र श्री तुला राम, निवासी नीमदा गेट, भरतपुर

......गारन्टर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश **दिनांक 30.10.2019**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी/जामनतदारों से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 30.3.2012 को प्रार्थी बैंक से 25000000/– रुपये व दिनांक 13.7. 2013 को 25000000/– की ओडी ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी. ने चन्द्रावती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की सम्पति जो सेवर बाई पास एन.एच. 11 आगरा हाईवे खसरा न0 160,161,163 से 167, 165/1620 ग्रांम रामपुरा तहसील भरतपुर में स्थित है और खसरा नम्बर 253,254,255,257,261 ग्रांम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 44960 वर्ग मीटर (53752.18 वर्ग गज) है, को प्रार्थी बैंक के हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 20.7.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 20.7.2019 तक 37910543.93/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी./ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी. ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.7.2019 को अप्रार्थी. ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया

.......2

गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी. ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 22.7.2019 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचज सम्पत्ति का कब्जा प्रापत करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी. ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी. ने अपनी अचल सम्पत्ति जो चन्द्रावती एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की सम्पति, सेवर बाई पास एन.एच. 11 जयपुर आगरा हाईवे खसरा न0 160,161,163 से 167, 165 / 1620 ग्रांम रामपुरा तहसील भरतपुर, खसरा नम्बर 253,254,255,257,261 ग्रांम झीलरा तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 44960 वर्ग मीटर (53752.18 वर्ग गज) है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(डॉ. जोगाराम)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर